

झारखण्ड विधान सभा



झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023

(सभा द्वारा यथापारित)

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

प्रारंभिक

1. सक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा 24 (1) का संशोधन

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023
(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा 24(1) में संशोधन करने हेतु विधेयक,

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधन मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित है।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ :-

- 1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- 2) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- 3) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा 24(1) का संशोधन :-

मूल अधिनियम की धारा 24 (1) में "पंद्रह रुपया" शब्दों के स्थान पर, "तीस रुपया" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

यह विधेयक झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023 दिनांक 02 अगस्त, 2023 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 02 अगस्त, 2023 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(रबीन्द्र नाथ महतो)

अध्यक्ष ।